रजिस्टर्ड ए0 डी0

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई–मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

सं0ः–राज/नागौर –25/चूनापत्थर–06

दिनांक. 1/4/2016

प्रेषित मै अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड
राजश्रीनगर
पोस्ट– खरिया खंगार 342606
जिला. जोधपुर (राजस्थान)

विषयः राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी राजश्री–1 चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 232.8 हैक्टेयर **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (**संशोधित एमसीडीआर 2011**) के प्रावधानो का उल्लंघन

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 16.03.2016 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

<u>नियम</u>	<u>उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा</u>
13(1)	(1) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 4.(सी) के अनुसार वर्ष 2015–16 में खनिज का उत्पादन 49000.00टन प्रस्तावित था लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 15 तक खनिज का उत्पादन 56800.00टन किया गया है। जो कि प्रस्तावित उत्पादन से अधिक है। (2) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 4.(सी) के अनुसार वर्ष 2015–16 में ओवरबर्डन 46725 वर्ग मीटर हटाया जाना प्रस्तावित था लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 15 तक ओवरबर्डन केवल 30000 वर्ग मीटर ही हटाया गया है। जो कि प्रस्तावित से कम है।
24	खान में खनन कार्य दिसम्बर 15 से अस्थाई रूप से 90 दिनो से अधिक दिनो तक बन्द रहे है। लेकिन खनन कार्य अस्थाई रूप से बन्द की सूचना "प्रपत्र–डी–1" में प्रेषित नहीं की गई है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2) खनि अभियन्ता, ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोटन को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच सी शर्मा)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो